यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय निदेशक विपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान (BTKIT), द्वराहाट, अल्मोडा** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **कार्यालय निदेशक विपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान (BTKIT), द्वराहाट, अल्मोडा** के माह 01/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार, श्री योगेश त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षागक द्वारा दिनांक 21.12.2016 से 31.12.2016 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामप्रीत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रामवीर सिहं, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मधुकर मिश्रा, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12/01/2015 से 22/01/2015 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2012 से 12/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य राज्यों के छात्रों को विभिन्न प्रकार के संकाय में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना।

3. (i) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (-)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय ₹		
2013-14	989.14	-	230.00	742.105	810.00	529.62	-	757.415
2014-15	477.03	280.38	238.10	109.15	923.27	1125.77	-	683.865
2015-16	605.985	77.88	-	349.925	876.00	876.00	-	333.94
2016-17 (upto Nov)	256.06	77.88	-	-	598.00	598.67	-	633.27

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय निदेशक, बिपन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान (BTKIT), द्वराहाट, अल्मोड़ा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय निदेशक, बिपिन त्रिपाठी कुमांयू प्रौद्योगिकी संस्थान (BTKIT), द्वारा अन्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अक्टूबर 2016 एवं जून 2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-1 दस वर्षो से ₹ 44.93 लाख की लागत से निर्मित डिस्पेन्सरी भवन का अनुपयोगित रहना।

बी.टी. के आई टी, द्वाराहाट, में डिस्पेन्सरी भवन के निर्माण हेतु शासनादेश सं0 50 दिनांक 24/03/2004 के द्वारा कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के आगणन पर ₹ 26.44 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। निर्माण इकाई द्वारा जनवरी 2005 में भेजे गए पुनरीक्षित आगणन ₹ 53.78 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा इस निर्माण के लिए ₹ 44.93 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस निर्माण में कुल 3 आवासीय भवन एवं 8 कमरो का निर्माण करना था। निर्माण इकाई द्वारा जून 2006 में निर्माण पूर्ण कर हस्तगत किया गया था।

इकाई की वर्तमान में सम्पादित लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई में डिस्पेन्सरी का उपयोग आतिथि (माह 12/2016) तक नहीं किया गया था अर्थात भवन के हस्तातरण के 10 साल व्यतीत होने के पश्चात भी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। आगे जांच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा विद्यार्थियों से चिकित्सा शुल्क के रूप में ₹ 300/- प्रति वर्ष की दर से वसूल किया जाता है। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 (माह 11/2016) में विद्यार्थियों से चिकित्सा शुल्क के रूप में कुल ₹ 8.01 लाख की धनराशि वसूल की गयी थी जिसके सापेक्ष इनकी चिकित्सा पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ₹ 44.93 लाख से निर्मित डिस्पेन्सरी का 10 साल से अधिक समय तक उपयोग में न लाया जाना न केवल इसके निर्माण पर निष्फल व्यय है अपितु विद्यार्थियों से चिकित्सा शुल्क वसूल कर उसे उपयोग में न लाया जाना विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर उदासीनता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आपत्ति स्वीकारते हुए बताया कि डिस्पेन्सरी अभी प्रारम्भ नहीं हो सकी है एवं इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस समबन्ध में स्टाफ की स्वीकृति के लिए शासन को कई बार प्रस्ताव भेजे गए है।

अतः डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कर वर्षों तक उपयोग न किए जाने के कारण ₹ 44.93 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (अ)</u>

प्रस्तर-2 निर्माण कार्य हेतु धनराशि ₹ 124.72 लाख उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरु नहीं होना।

संस्थान के निर्माण संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शासन के द्वारा संस्थान के पत्रांक-BTKIT तक.शि./सिविल/3245 दिनांक 17/02/2014 के सापेक्ष शासनादेश संख्या 147/XLI-1/2014-15/11 दिनांक 30/03/2014 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अंतर्गत 100 सीटेड छात्रावास के निर्माण हेतु कुल ₹ 124.72 लाखी की धनराशि को आहरित कर संस्थान के PLA में रखे जाने की स्वीकृति दी गई। संस्थान द्वारा इस धनराशि को आहरित कर अपने PLA खातें में 31/03/2014 को जमा कर दिया गया। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान एवं निर्माण निगम, रानीखेत द्वारा प्रस्तुत आगणन ₹ 472.52 लाख के सापेक्ष TAC वित्त द्वारा उपयुक्त पाया गया ₹ 455.79 लाख के सापेक्ष स्वीकृत किया गया था। उक्त योजना का उद्देश्य क्षेत्र/जनपद/प्रदेश के शिक्षण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करना है जो कि लेखापरीक्षा की तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण योजना के उद्देश्य से वंचित है। लेखा परीक्षा के द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने को इंगित करने पर संस्थान ने उत्तर में बताया कि शासनादेश के बिन्दु संख्या (1) में छात्रावास के निर्माण हेतु आंगणन की प्रशासनिक स्वीकृति तथा बिन्दु संख्या (2) में उपरोक्त धनराशि को PLA में आहरण से पूर्व शासन की अनुमति आतिथि तक प्राप्त नहीं हुयी है जिस कारण से कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

अतः निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि ₹ 124.72 लाख PLA खाते में लगभग विगत तीन वर्षों से अवरुद्ध पड़ा रहना, लेखा परीक्षा अवधि तक कार्य का शुरु नहीं होना एवं इस योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों को योजना के उद्देश्य वंचित रहने के प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1 निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि ₹ 38.65 लाख विगत कई वर्षों से PLA खातें लंबित/पड़े रहना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड V भाग-1 के प्रस्तर 369-F के अनुसार एक विशेष कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि/अनुदान स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर या तो व्यय कर लिया जाना चाहिए अथवा सरकार को समर्पित कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड V भाग-1 के प्रस्तर 351 के अनुसार पाँच रुपए से अनधिक जमा, पाँच रुपए से अनधिक आंशिक भुगतान के शेष जमा जो एक लेखे वर्ष से अदावाकृत है। या अन्य समस्त जमा धनराशि जो तीन लेखे वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत है, प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में सुसंगत राजस्व शीर्ष में जमा होंगे।

संस्थान के लेखे, बैंक खातें आदि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि संस्थान के पास धनराशि ₹ 38.65 अवशेष पड़ी हुयी है जो की संस्थान के लेजर में Small Works के अंतर्गत विभाजित कर दिखाया जा रहा है, यह धनराशि कोषागार में खोले गए PLA खाता संख्या 844800110 में विगत कई वर्षों से अवरुद्ध पड़ा हुआ है। इस संबंध में लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित करने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि यह पूर्व के निर्माण संबंधी कार्यों के अवशेष धनराशि से संबंन्धित है। तथा यह विगत कई वर्षों से लंबित है। अवशेष धनराशि से संबंन्धित कार्यों का मिलान कर अवशेष धनराशि का समायोजन कर आगामी लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि उक्त धनराशि विगत कई वर्षों से PLA खातें में लंबित है एवं अदावाकृत (No Claim) है। अतः यह धनराशि शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए।

उक्त प्रकरण को लेखापरीक्षा के द्वारा प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-2 ₹ लाख 8.12 लाख की अग्रिम धनराशि का समायोजन न होना।

संस्थान, बी.टी के आई टी, द्वाराहाट की अग्रिम से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा कर्मचारियों को अग्रिम के रूप में दी जानी वाली धनराशि के रखरखाव के लिए कोई पंजिका नहीं बनाई जाती थी। अग्रिम से संबंन्धित उपलब्ध कराई गयी सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 (11/2016) तक 25 कर्मचारियों (विवरण संलग्न) को अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशि का समायोजन वर्षों से लंबित पड़ा था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि इन कर्मचारियों में से दो कर्मचारी, डॉ0 बी0 के0 सिंह एवं डॉ के0 एस0 वाईसला क्रमशः माह 03/2013 एवं माह 01/2016 में कार्यमुक्त हुए थे परंतु इनके द्वारा अग्रिम के रूप में ली गयी धनशाशि ₹ 1,53,470 एवं ₹ 1,92,072 का समायोजन आतिथि (11/2016) तक लंबित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आपत्ति स्वीकारते हुए बताया कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा अग्रिमों का समायोजन नहीं दिया है एवं लेखाधिकारी द्वारा समायोजन के लिए लिखा गया है। कार्यमुक्त कर्मचारियों के संबंध में वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

अतः ₹ 8.12 लाख की अग्रिम धनरासि के समायोजन न होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या	STAN
AIR-12/2008-09	1-7	1-8	1-3
AIR-52/2012-13	1-2	1-4	-
AIR-164/2014-15	1	1-8	1-2

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

भाग-पाँच
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय निदेशक विपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान (BTKIT), द्वराहाट, अल्मोडा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालन आख्या तथा विगत नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालन आख्या।

2. **सतत् अनियमितताएः-** विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालन आख्या तथा नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालन आख्या।
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-**

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	जिलाधिकारी	30/06/2014 से 30/09/2015
2	डॉ आर.के सिंह	निदेशक	01/10/2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय निदेशक विपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान (BTKIT), द्वराहाट, अल्मोडा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.